छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा दशम् सत्र अंक-08

<u>रायपुर, बुधवार, दिनांक 3 मार्च, 2021</u>

(फाल्गुन 12, शक संवत् 1942)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. जन्म दिवस की बधाई

माननीय अध्यक्ष ने श्री यू.डी.मिंज, सदस्य को जन्म दिवस के अवसर पर अपनी ओर से एवं सदन की ओर से शुभकामनाएं दीं तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

2. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 12 एवं 14 (कुल 13) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

तारांकित प्रश्न संख्या 12 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री बृजमोहन अग्रवाल के स्थान पर श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य अधिकृत रहे ।

तारांकित प्रश्न संख्या 13 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री अरुण वोरा अनुपस्थित रहे ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 31 तारांकित एवं 47 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

3. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 03 पर चर्चा के दौरान श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया ।

4. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों के लिए बाइट लेने हेतु सेन्ट्रल लॉन स्थित हट में व्यवस्था की गई थी, किन्तु आज दिनांक 03 मार्च, 2021 से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों के लिए समिति कक्ष क्रमांक 01 में व्यवस्था की गई है।

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 42 के अधीन अधिसूचित छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम, 2005 के नियम 22 एवं नियम 23 के उपनियम (घ) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2019- 20,

(2) श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 24 सन् 2004) की धारा 31 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 (1 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2020),तथा

(3) श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ अधिनियम, 2004 (क्रमांक 26 सन् 2004) की धारा 29 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार पंडित सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 (1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020),

पटल पर रखे ।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए।)

6. पृच्छा

सर्वश्री शिवरतन शर्मा, नारायण चंदेल एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों ने प्रदेश में रेत का अवैध उत्खन्न होने के संबंध में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की।

उपाध्यक्ष महोदय ने कथन किया कि आपकी सूचना विचाराधीन है, इस पर किसी न किसी माध्यम से चर्चा कराई जायेगी ।

7. ध्यानाकर्षण सूचना

उपाध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलंबनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम 138 (3) को शिथिल करके मैंने आज की कार्यसूची में तीन ध्यानाकर्षण सूचनाएं शामिल किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है ।

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है ।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई ।

8. पृच्छा

श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष ने राजिम के कुण्डेल क्षेत्र के धान खरीदी केन्द्र में एक हाथी ने घुसकर वहां काम करने वाले एक नियमित कर्मचारी को मार दिया, परिणामस्वरूप यह बड़ी वीभत्स घटना घटित हुई है । उनके परिजनों को क्षतिपूर्ति राशि एवं परिवार के किसी सदस्य को नौकरी में रखने के संबंध में सहानुभूतिपूर्वक विचार करने संबंधी ध्यानाकर्षित किया।

श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री ने कथन किया कि हम लोग इस पर सहानूभूतिपूर्वक विचार करेंगे ।

9. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

(1) डॉ.रमन सिंह, श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य ने वन मंडल, खैरागढ़ अंतर्गत गंडई क्षेत्र में वन्य प्राणी का अवैध शिकार किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(2) श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य ने रायपुर के ग्राम बोरियाकला चौक से सिद्धार्थ चौक तक फोरलेन के दोनों ओर अतिक्रमण किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) श्री केशव प्रसाद चंद्रा, सदस्य ने प्रदेश में दिव्यांगों के उचित शिक्षा एवं पुनर्वास हेतु विशेष शिक्षक भर्ती नहीं किये जाने की ओर समाज कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्रीमती अनिला भेंड़िया, समाज कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

10. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

उपाध्यक्ष महोदय की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) डॉ. लक्ष्मी ध्रुव
(2) श्री देवव्रत सिंह
(3) श्री धर्मजीत सिंह
(4) श्री शिवरतन शर्मा
(5) श्री ननकीराम कंवर

11. याचिकाओं की प्रस्तुति

उपाध्यक्ष महोदय की घोषणानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री केशव प्रसाद चन्द्रा
(2) श्री शिवरतन शर्मा
(3) श्री पुरुषोत्तम कंवर
(4) डॉ. लक्ष्मी ध्रुव

12. वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा का पुनर्ग्रहण

श्रीमती ममता चन्द्राकर, सदस्य ने पुनर्ग्रहित चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री केशव प्रसाद चंद्रा, लालजीत सिंह राठिया,

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से भोजनावकाश के समय में 2.00 बजे तक की वृद्धि किये जाने की घोषणा की ।)

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, सर्वश्री राजमन बेंजाम, शिवरतन शर्मा

(2.00 बजे से 3.00 बजे तक अंतराल ।)

(सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह) पीठासीन हुए।)

श्रीमती संगीता सिन्हा, श्री धर्मजीत सिंह,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए।)

श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष,

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर देना प्रारंभ किया ।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से मुख्यमंत्री जी का उत्तर पूर्ण होने तक समय वृद्धि की घोषणा की ।)

13.सदन को सूचना
नेत्र एवं आयुर्वेद नाड़ी परीक्षण शिविर का आयोजन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि माननीय सदस्यों के लिए विधान सभा की लॉबी स्थित सदस्य कक्ष में दिनांक 4 एवं 5 मार्च, 2021 को नेत्र एवं आयुर्वेद नाड़ी परीक्षण शिविर आयोजित है ।

माननीय सदस्य प्रातः 11.00 बजे से सायं 5.00 बजे के मध्य शिविर का लाभ लेवें ।

14. वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमशः)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

सायं 06.05 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 04 मार्च, 2021 (फाल्गुन 13, शक संवत् 1942) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा